

७५५

श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक:
एफ-१/१४/१/१५/१७.७/२०२४/१५९२७ दिनांक
१८-०६-२०२४ में पत्रावली सहयक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर को मुतकिल की जाती है।

25/7/24

पत्रावली पैसा का
वाकीलद्वारा अतिरिक्त आदिवासी/अनुसूचित
पत्रावली में अलग पत्रावली पत्रावली को होने को
इलाज के लिए पत्रावली में अतिरिक्त आदिवासी/अनुसूचित
को देना है।

13/8/24

13/8/24


~~पत्रावली पैसा का
वाकीलद्वारा अतिरिक्त आदिवासी/अनुसूचित
पत्रावली में अलग पत्रावली पत्रावली को होने को
इलाज के लिए पत्रावली में अतिरिक्त आदिवासी/अनुसूचित
को देना है।~~

14/8/24

14/08/24

पत्रावली पैसा/ वादी की ओर से लंबे समय
से कोई अप. नहीं। वाद अदम हाजिरी, अदम
पेंचरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल- शुमार होकर दारिखल-दफतर हो।

[Signature]
y. k. k. in 2
14/8/24



[Signature]
जिला कलक्टर (F.T.) जोधपुर